बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या **PR 12 / 17**

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 के क्रम में तथाकथित प्रश्न पत्र या तथाकथित उत्तर सामग्री को सोशल मीडिया (व्हाट्सएप्प इत्यादि) के माध्यम से प्रसारित करने के संबंध में

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 का संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, जो दिनांक 08.03.2017 तक चलेगी ।

2. इस क्रम में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया (व्हाट्सएप्प इत्यादि) पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के उस दिन की परीक्षा के तथाकथित प्रश्न पत्र अथवा तथाकथित उत्तर सामग्री जो उनके मोबाइल पर कहीं से प्राप्त होता है, उसे अन्य किसी नम्बर अथवा ग्रुप में भेज देते हैं । यह पूरी तरह से गलत एवं अवांछनीय है । क्योंकि इससे न सिर्फ आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है, बल्कि इससे परीक्षा में अफवाह फैलाने, गड़बड़ी करने का प्रयास भी परिलक्षित होता है एवं अभिभावकों एवं छात्रों को गुमराह अथवा गलत रूप से मदद करने का प्रयास भी परिलक्षित होता है, जो पूर्णतः अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है ।

3. साथ ही इस प्रकार की सूचना प्रसारित होने से परीक्षा संचालन में अव्यवस्था होती है तथा गलत प्रवृति के लोग भोलेभाले परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को ठगने का प्रयास भी करते हैं । अतः ऐसा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 एवं आई0टी0 एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

4. अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 के तथाकथित प्रश्न पत्र अथवा तथाकथित उत्तर सामग्री को फोन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अथवा ग्रुप में भेजने पर या ऐसी अफवाह एवं तथाकथित सूचना प्रसारित करने पर उन व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 एवं आई0टी0 एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना